



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

की

रामगंगा विहार –द्वितीय एवं आशियाना प्रथम योजना के अन्तर्गत कार्यालय/व्यवसायिक हाल नीलामी द्वारा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

नीलामी दिनांक-14.03.2018

समय: 12:00 बजे अपरान्ह

स्थान: प्राधिकरण सभागार

योजना का नाम	सम्पत्ति की कुल सं०	अनु० क्षेत्रफल (वर्ग मी० में) प्रति सम्पत्ति	न्यू० आरक्षित मूल्य प्र०व०मी० (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत) (रु०)
रामगंगा विहार –द्वितीय कार्यालय हाल-भूतल	HALL-B	232.61	104199.00	2423773.00
	HALL-D	232.61	104199.00	2423773.00
	HALL-E	239.39	104199.00	2494420.00
रामगंगा विहार –कार्यालय हाल-द्वितीय तल	HALL-A2	239.39	87819.00	2102300.00
	HALL-B2	232.61	87819.00	2042758.00
	HALL-C2	63.88	87819.00	560988.00
	HALL-D2	232.61	87819.00	2042758.00
	HALL-E2	239.39	87819.00	2102300.00
आशियाना योजना-1 हॉल प्रथम तल	4	45.52	87,255.00	397185.00
आशियाना योजना-1 हॉल प्रथम तल	2	92.60	87,255.00	807982.00

नीलामी की नियम व शर्त :-

- (1) व्यवसायिक सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नियम व शर्तों की पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय स्थित केनरा बैंक से रु० 500/- जमा कर प्राप्त की जा सकती है ।
- (2) नीलामी बोली से एक दिन पूर्व दिनांक 13.03.2018 को सांय 5:00 बजे तक धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकरण के लेखनुभाग में जमा कराकर रसीद/टोकन सं० प्राप्त करना होगा ।
- (3) नीलामी तिथि पर अवकाश होने की दशा में नीलामी अग्रिम कार्यदिवस में सम्पन्न की जायेगी ।
- (4) उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के बाद एक माह के अन्दर धरोहर राशि को समायोजन करते हुए जमा करनी होगी तथा 75 प्रतिशत धनराशि 4 त्रैमासिक ब्याज रहित किस्तों में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगी।
- (5) उक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों में जी०एस०टी० व अन्य शासकीय कर अलग से देय होंगे ।
- (6) कार्यालय/व्यवसायिक हाल के कब्जे से पूर्व भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड जमा करना होगा तथा अनुबन्ध/विक्रय विलेख पत्र का निबन्धन करना होगा ।
- (7) बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष महोदय मु०वि०प्रा० में निहित होगा ।
- (8) आवंटन उपरान्त समर्पण करने तथा आवंटि के डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
- (9) उच्चतम बोली की अवशेष राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के बाद एक माह के अन्दर एकमुस्त जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी ।
- (10) किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष मु०वि०प्रा० का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा ।
- (11) समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ।
- (12) अधिक जानकारी प्राधिकरण की विभागीय वेबसाईट www.mdamoradabad.org/सम्पत्ति अधिकारी, मु०वि०प्रा०, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

कनक त्रिपाठी

आई०ए०एस०

उपाध्यक्ष



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

की

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में व्यवसायिक भूखण्डों
एवं नया मुरादाबाद में कार्यालय भवन को
प्राप्त करने का स्वर्णिम असवसर

नीलामी तिथि
दिनांक 14.03.2018

A. ट्रांसपोर्ट नगर न्यूनतम आरक्षित मूल्य 52,500.00 (प्रति वर्गमी0)

क्र0सं0	सम्पत्ति की कुल सं0	रिक्त सम्पत्ति सं0	अनु0क्षेत्रफल (व0मी0 में) प्रति सम्पत्ति	धरोहर राशि (अनु0कीमत की 10%) (रू0)
1	01	CC-01	696.50	36,56,625.00
2	01	CC-02	682.50	35,83,125.00
3	01	CC-03	250.62	13,15,755.00
4	01	CC-04	188.86	9,91,515.00
5	01	CC-05	187.10	9,82,275.00
6	01	CC-06	185.10	9,71,775.00
7	01	CC-07	230.34	12,09,285.00
8	01	CC-08	197.92	10,39,080.00
9	01	CC-09	197.92	10,39,080.00
10	01	CC-10	197.92	10,39,080.00
11	01	CC-11	206.04	10,81,710.00

B. नया मुरादाबाद योजना में निर्मित कार्यालय/भवन का विवरण

सम्पत्ति	भूखण्ड का क्षेत्रफल	निर्मित कुल क्षेत्रफल	न्यूनतम आरक्षित धनराशि	धरोहर राशि (अनु0कीमत की 10%) (रू0)
तीन मंजिल निर्मित भवन कार्यालय	5269	5946	41.61 करोड़	(अनु0कीमत की 10%) (रू0)

- ❖ व्यवसायिक भूखण्डों एवं कार्यालय भवन के सम्बन्ध में नियम व शर्तों की पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय स्थित केनरा बैंक से 500/- जमा करके प्राप्त की जा सकती है।
- ❖ अधिक जानकारी सम्पत्ति प्रभारी, मु0वि0प्रा0, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

कनक त्रिपाठी

आई0ए0एस
उपाध्यक्ष